न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

मनोज कुमार ..... बनाम ..... अड़ान देवी

किस्म मुकदमा ..... मु.नं. ....165.... वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
14/10/25	वकील प्रार्थी द्वारा यह आवेदन बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट न्यायालय हाजा ली गई। आवेदन दर्ज रजिस्टर हों। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड डाक से तलब कर मिसल नियत तिथि 20.11.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर
20/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 24/11/25 को पेश हो।
24/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं को न्यायालय समक्ष के बार-बार आवाज लगवाने पर भी प्रकरण के अवसर पर उपस्थित नहीं होने पर पत्रावली खारिज पर फैसला दिया। मुकदमा हाजिरी के अभाव में खारिज करने के कारण दिये जाते हैं। पत्रावली पेश होकर वाद तकमील अभाव उपखण्ड

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2026.01.01 12:18:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला-सीकर (राज.)